

महिला, बाल विकास और सामाजिक सुरक्षा विभाग के तहत योजना,

इस योजना के तहत दिव्यांग व्यक्तियों को सहायक उपकरण वितरित करने के लिए सभी जिला समाज कल्याण अधिकारियों को धनराशि आवंटित की जाती है।

दस्तावेज की आवश्यकता

1. विकलांगता प्रमाण पत्र
2. आधारकार्ड
3. मतदाता पहचान पत्र
4. बीपीएल कार्ड
5. स्वघोषणा
6. बैंक पास बुक

आवेदन कैसे करें

आवेदन पत्र जिला समाज कल्याण कार्यालय में जमा किए जाएंगे

➤ अल्पाश्रय गृह (Halfway Home)

धनबाद जिले में मानसिक रूप से विकलांग लोगों के पुनर्वास के लिए विभाग द्वारा एक हाफवे होम चलाया जा रहा है।

स्वास्थ्य विभाग द्वारा रिनपास राँची में दो अतिरिक्त हाफवे होम चलाए जा रहे हैं

हाफवे होम में प्रवेश के लिए मानदंड जिले के चिकित्सा अधीक्षक की सिफारिश द्वारा आवश्यक है

सामाजिक सुरक्षा निदेशालय के अंतर्गत योजना

विकलांगता पेंशन

1. इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विकलांगता पेंशन (सीएसएस)
लाभार्थियों की संख्या 25,397
आयु समूह:—18 वर्ष और उससे अधिक
पेंशन राशि 1000 प्रति माह
केंद्र का हिस्सा—300
राज्य का हिस्सा:— 700
विकलांगता प्रतिशत 80% और उससे अधिक
2. स्वामी विवेकानंद निशक्त स्वावलंबन प्रोत्साहन योजना (राज्य योजना)
लाभार्थियों की संख्या 2,93,432
न्यूनतम आयु मानदंड 5 वर्ष
पेंशन राशि 1000 प्रति माह
विकलांगता प्रतिशत 40% और उससे अधिक

आवेदन कैसे करें

ग्रामीण क्षेत्रों में आवेदन पत्र ब्लॉक कार्यालय तथा शहरी क्षेत्रों में अंचल कार्यालय में जमा किए जाएंगे।

➤ स्वीकृत आवेदनों को एनएसएपी-पीएस पोर्टल पर डिजिटल किया जाता है जो पीएफएमएस पोर्टल (भुगतान गेटवे) के साथ एकीकृत होता है।

➤ आईजीएनडीपीएस (इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विकलांगता पेंशन) के लिए

दस्तावेज़ की आवश्यकता

1. विकलांगता प्रमाण पत्र
2. आधार कार्ड
3. मतदाता पहचान पत्र
4. बीपीएल कार्ड
5. स्वघोषणा
6. बैंक पास बुक

स्वामी विवेकानंद निशक्त स्वावलंबन प्रोत्साहन योजना (राज्य योजना)

दस्तावेज़ की आवश्यकता

7. विकलांगता प्रमाण पत्र
8. आधार कार्ड
9. मतदाता पहचान पत्र
10. बीपीएल कार्ड
11. स्वघोषणा
12. बैंक पास बुक

जेएससीपीएस द्वारा मिशन वात्सल्य योजना के अंतर्गत योजना

मिशन वात्सल्य योजना के अंतर्गत कवर किए जा रहे बच्चे इस प्रकार हैं

पैर या अंगों से दिव्यांग	श्रवण बाधित	दृष्टी बाधित	मानसिक दिव्यांग	एकाधिक दिव्यांगता	अन्य दिव्यांगता	कुल
21	18	08	64	34	05	150

विस्तारित परिवार/जैविक रिश्तेदारों के साथ रहने वाले कमजोर बच्चों को उनकी शिक्षा, पोषण और विकलांगता तथा कमजोर स्थिति में बच्चों की स्वास्थ्य संबंधी आवश्यकताओं के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जा रही है।

दस्तावेज़ की आवश्यकता

1. विकलांगता प्रमाण पत्र
2. आधार कार्ड
3. मतदाता पहचान पत्र
4. बीपीएल कार्ड
5. स्वघोषणा
6. बैंक पास बुक
7. सामाजिक जांच रिपोर्ट
8. संबंधित बच्चों की व्यक्तिगत देखभाल योजना

➤ बाल गृह में विकलांग बच्चों की देखभाल

विकलांग बच्चों के लिए विशेष देखभाल इकाई में मनोवैज्ञानिक परीक्षण सामग्री, व्हील चेयर, क्रेच आदि जैसे विशेष उपकरण और सामग्री की सुविधा प्रदान की जाती है।

➤ दिव्यांग बच्चों को विषहरण और उपचार के साथ-साथ एंटीरेट्रोवाइरल थेरेपिस्ट और अन्य चिकित्सा आवश्यकताओं के लिए विशेष चिकित्सा सहायक दिए जा रहे हैं।

➤ इन बच्चों को एक विशेष शिक्षक/चिकित्सक तथा एक नर्स उपलब्ध कराई जाएगी।